हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 30/2023 बउनवान गंगा पुत्री बींजाराम का.मु. स्वरूपचंद वगैरह बनाम खेताराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 21.03.2025

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री मनोज पारीक, अपीलांटस की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी, रेस्पोडेंटस संख्या 11 की ओर से

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 01, 3 व 4 के संयुक्त पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों की भूमि मौजा नागाणा पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर में मूल खसरा संख्या 299 रकबा 11 बीघा व खसरा संख्या 300 रकबा 206.14 बीघा कुल रकबा 207.05 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 380/300 रकबा 188.14 बीघा व खसरा संख्या 381/300 रकबा 18 बीघा के आये हुऐ हैं। जो भूमि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 को पैतृक व सहदायिक सम्पति के रूप में उनके पिता व नाना बींजा से प्राप्त हुई। वक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पिता बीजा के कब्जे काश्त की होने से बीजा पुत्र राणा के नाम पर्चा लगान जारी कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वादग्रस्त खेत प्रार्थीनी के पिता बीजा के खातेदारी अधिकारों के थे। तथा प्रार्थीनी, विप्रार्थी संख्या 1 की माता लेहरी व विप्रार्थी संख्या 3 व 4 चार पुत्रियां थी। बीजा के फौत होने के बाद वादग्रस्त भूमि का नामांतकरण संख्या 869 दिनांक 30.06.1985 को पारित किया गया जो नामांतकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 की माता लेहरों व बीजा की पत्नी राजों के नाम से पारित किया गया। जबकि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 3 व 4 भी बीजा की जायंदा पुत्रियां व विधिक वारिस होने के कारण प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 3 व 4 को भी विप्रार्थी संख्या 1 की माता लेहरों व प्रार्थीनी की माता राजों के साथ बीजा की फौतगी पर पारित नामांतकरण में राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना आवश्यक था। परंतु प्रार्थीनी ग्रामीण व अनपढ महिला होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 की माता लेहरों व प्रार्थीनी की माता राजों ने नाजायज फायदा उठाकर अपने अकेलों के नाम से नामांतकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को अपने पिता की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मूल वाद के संलग्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत आवेदन पेश किया गया। जिसमें अस्थाई व्यादेश खारिज कर प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की पैतृक संपति है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांटस का जन्म से हक हिस्सा निहित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। वाद के विचारण में होने के बावजूद अपीलाधीन आराजी का बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 11 की ओर से लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आराजी बैंक में रहन है। अतः बैंक के हितों को सुरक्षित रखते हुए उतरदाता संख्या 11 हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ें इसलिए बैंक के हिस्से तक अपील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का हस्तांतरण किया गया। स्थगन को हटाया जाता है तो व्यर्थ ही मुकदमेंबाजी में वृद्धि होगी। न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वाद के विचारण में होने पर प्रश्नगत संपत्ति कर संरक्षण करें। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व आवेदन संख्या 294/2022 बउनवान गंगा के कायम मुकाम बनाम खेताराम वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 को अपास्त किया जाता है। हाजा न्यायालय पारित स्थगन आदेश दिनांक 22.03.2023 मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 21.03.2025 को सुनाया गया।

21/3/25

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर